न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 27/2016

उनवान प्रकरण

1—श्रीमती बालारानी उम्र करीब 57 वर्ष पुत्री स्व. श्री बिस्सू पत्नी श्री लखबिन्दर सिंह
2—श्रीमती महेशो देवी उम्र करीव 55 वर्ष पुत्री स्व. श्री बिस्सू पत्नी श्री अशोक कुमार
जतिगण बेडिया निवासीगण ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ
2—रामगोपाल |
3—प्रकाश " **दौराने अपील फोत**" | पुत्रगण स्व. रजुआ
4—मुन्ना |
5—बिजेन्द्र |
6—अजमेरसिंह |
7—रामलखन |
8—भूरी पुत्री स्व. रजुआ
9—श्रीमती सौनी पत्नी स्व. रजुआ
समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम सौने का पुरा तहसील सैपऊ(धौलपुर)

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0732 आदेश दिनांक 04.06.1989 बॉके ग्राम मालौनीखुर्द्व तहसील सैपऊ

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पो0सं02, 4लगा09 की ओर से :—श्री इकराम खां एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :—श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट के पिता स्व. बिस्सू पुत्र सूखी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ को आवंटन कमेटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.6.1989 आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 01 वीधा

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

15 विस्वा, 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा, 1787 रकवा 13 विस्वा आवंटित किया जिसका कि अंकन आवंटन कमेटी के आदेश कमांक 20 पर अंकित है। उसी समय तहसीलदार सैपऊ द्वारा दिनांक 40601989 को कब्जा व दखल अपीलान्टास के पिता स्व. विस्सू का करा दिया तभी से अपीलान्ट के पिता उक्त आराजी पर आजीवन काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके निधन के बाद उनकी पुत्रिया/आपीलान्टस काबिज होकर काश्त करती आ रही है किन्तु जब नये राजस्व ग्राम बने तब खसरा नम्बर 1778 व 1787 को नये राजस्व ग्राम भागना तहसील सैपऊ में मिला दिया जो कि वर्तमान में राजस्व ग्राम भागना में स्थित है किन्तु रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 8 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या–9 के पति स्व. रजुआ पुत्र ढीला जाति कुशवाह ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 अति0तहसीलदार सैपऊ से सांठगांठ करके सहायक जिलाधीश द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा दिनांक 4.6.1989 को ही उसी दिवस गलत व फर्जी तरीके से नियमन का अंकन कराकर अपने नाम का गलत एवं फर्जी तरीके से गैरखातेदारी का आदेश जरिये नामान्तकरण संख्या 732 से दिनांक 4.6.1989 को राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में स्वीकार करा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के पिता बिस्सू के नाम आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1989 की सम्यक जानकारी होने के बाद एवं स्वयं द्वारा कब्जा व दखल देने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2लगा09 के पूर्व पुरूष स्व. रजुआ के नाम राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में दिनांक 4.6.1989 को कोई आवंटन व नियमन का आदेश न होने के बावजूद भी नामान्तकरण संख्या 732 से स्व. रजुआ के नाम गैर खातेदारी का आदेश पारित कर कानूनन विधि विरूद्व व विधि के स्वस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत कार्यवाही कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया जो कि काबिल निरस्ती है। यदि वास्तव में स्व. रजुआ पुत्र ढीला के नाम आराजी खसरा नम्बर 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में सहायक जिलाधीश द्वारा यदि कोई नियमन किया गया होता तो निश्चित ही स्व. रजुआ के नाम का अंकन आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की सूची में उसका नाम अंकित होता। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति की सूची में स्व. रजुआ का नाम अंकित नहीं होने के बावजूद भी उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 732 तस्दीक किया है जो कि गैरकानूनी होने से काबिल निरस्ती है। जब आराजी खसरा नम्बर 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा को अपीलान्टस के पिता स्व. बिस्सु के नाम आवंटित कर कब्जा व दखल देने के बाद स्व. बिस्सू का नाम आवंटन आदेश की सूची के कमांक 20 पर अंकित कर अनुसूचित जाति के नाम दर्ज कर दिया। चूंकि जब आराजी खसरा नम्बर 1778 को अनुसूचित जाति के नाम दर्ज कर कब्जा व दखल दे दिया तो उक्त खसरा नम्बर को किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं किया जा सकता। यदि फिर भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम अंकन या अन्तरित किया जाता है तो उक्त अंकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत होने से पूर्व से ही शून्य अंकन है जो कि काबिल निरस्ती के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरणसंख्या 732 दि04.6.1989 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्त0 तस्दीक करने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 4.6.1989 द्वारा अति0तहसीलदार सैपऊ, प्रमाणित प्रति आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1989, प्रमाणित प्रति हल्का पटवारी रिपोर्ट मय फार्म नम्बर–3, नकल जमाबन्दी संख्या 79 सम्बत 2066 से 2069 ग्राम भागना तहसील सैपऊ, फोटो प्रति प्रमाण पत्र आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1989 वहक बिस्सू पुत्र सूखी पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 4 लगा0 9 की ओर से श्री इकराम खां एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व. बिस्सू पुत्र सूखी जाति बेडिया को आवंटन कमेटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.6.1989 से आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 01 वीधा 15 विस्वा, 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा, 1787 रकवा 13 विस्वा आवंटित किया जिसका कि अंकन आवंटन कमेटी के आदेश कमांक 20 पर अंकित है। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के पिता बिस्सू के नाम आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1989 की सम्यक जानकारी होने के बाद एवं स्वयं द्वारा कब्जा व दखल देने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2लगा09 के पूर्व पुरूष स्व. रजुआ के नाम राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में दिनांक 4.6.1989 को कोई आवंटन व नियमन का आदेश न होने के बावजूद भी नामान्तकरण संख्या 732 से स्व.रजुआ के नाम गैर खातेदारी का आदेश पारित कर कानूनन विधि विरूद्व व विधि के स्वस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत कार्यवाही कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया जो कि काबिल निरस्ती है। यदि वास्तव में स्व. रजुआ पुत्र ढीला के नाम आराजी खसरा नम्बर 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में सहायक जिलाधीश द्वारा यदि कोई नियमन किया गया होता तो निश्चित ही स्व. रजुआ के नाम का अंकन आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की सूची में उसका नाम अंकित होता। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति की सूची में स्व. रजुआ का नाम अंकित नहीं होने के बावजूद भी उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 732 तस्दीक किया है जो कि गैरकानूनी होने से काबिल निरस्ती है। यदि फिर भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम अंकन या अन्तरित किया जाता है तो उक्त अंकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत होने से पूर्व से ही शून्य अंकन है जो कि काबिल निरस्ती के है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच कराकर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 लगा09 के विद्वान अभिभाषक ने अपील का कोई विरोध नहीं किया और ना ही रेस्पोडेन्ट की ओर से विरोघ में कोई दस्तावेज पेश किये।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के पिता स्व. बिस्सू पुत्र सूखी जाति बेडिया को आवंटन कमेटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 4.6.1989 से आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 01 वीधा 15 विस्वा, 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा, 1787 रकवा 13 विस्वा आवंटित किया जिसका कि अंकन आवंटन कमेटी के आदेश कमांक 20 पर अंकित है। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के पिता बिस्सू के नाम आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1989 की सम्यक जानकारी होने के बाद एवं स्वयं द्वारा कब्जा व दखल देने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2लगा09 के पूर्व पुरूष स्व. रजुआ के नाम राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में दिनांक 4.6.1989 को कोई आवंटन व नियमन का आदेश न होने के बावजूद भी नामान्तकरण संख्या 732 से स्व.रजुआ के नाम गैर खातेदारी का आदेश पारित कर कानूनन विधि विरूद्व व विधि के स्वस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत कार्यवाही कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया। यदि वास्तव में स्व. रजुआ पुत्र ढीला के नाम आराजी खसरा नम्बर 1778 रकवा 02 वीधा 01 विस्वा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द्व में सहायक जिलाधीश द्वारा यदि कोई नियमन किया गया होता तो निश्चित ही स्व. रजुआ के नाम का अंकन आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की सूची में उसका नाम अंकित होता। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति की सूची में स्व. रजुआ का नाम अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने स्व. रजुआ के पक्ष में हुये नियमन का कोई आदेश पेश नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। अतः अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सैपऊ को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 4.6.1989 ग्राम मालौनीखुर्द्व तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी के पक्ष में आवंटन आदेश के प्रभाव एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगा09 के पूर्वज रजुआ के पक्ष में यदि कोई नियमन का आदेश हो तो बाद जॉच उचित आदेश पुनः पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner